क्या सीतापुरा में आई.ओ.सी.एल. गैस प्लांट के पास सघन आबादी नहीं है?

राजस्थान हाईकोर्ट ने सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित इस गैस प्लांट को दूसरी जगह शिफ्ट करने से जुड़े मामले में मुख्य सचिव से शपथ पत्र मांगा

- **अदालत ने मुख्य सचिव और रीको प्रशासन से, सीतापुरा में संचालित खतरनाक श्रेणी के उद्योग और इनसे सटी आवासीय कॉलोनियों, शैक्षणिक व अन्य इकाईयों का पूरा विवरण मांगा है।**
- **याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता डॉ. अभिनव शर्मा ने बताया कि साल 2009 में आईओसीएल के फ्यूल ऑयल स्टोरेज प्लांट में 7 दिन तक लगी आग में 12 लोगों की मौत हुई थी। राज्य सरकार की जांच कमेटी ने 2011 की रिपोर्ट में माना था कि आईओसीएल के सीतापुरा स्थित घरेलू गैस के बॉटलिंग प्लांट को जगतपुरा व सीतापुरा में आबादी विस्तार को देखते हुए शहर से बाहर भेजना चाहिए।**
- **इस प्लांट में जामनगर लूणी गैस पाइप लाइन से एलपीजी उच्च दबाव पर सप्लाई होती है, जो सामने के रीको औद्योगिक क्षेत्र के नीचे से आती है। इसके ऊपर ही कई बडे अस्पताल, कॉलेज और फार्मेसी कौंसिल सहित अनेक शैक्षिणक संस्थान बन गए हैं।**

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक इलाके में स्थित आई.ओ.सी.एल. के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट के आसपास मौजूद सघन आबादी बसावट होने के बारे में मुख्य सचिव से शपथ पत्र मांगा है। अब इस मामले की सुनवाई 9 सितंबर को होगी।

आई.ओ.सी.एल. के इस गैस प्लांट को दूसरी जगह शिफ्ट करने के जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से पूछा है कि, क्या इस औद्योगिक क्षेत्र में जेडीए और नगर निगम ने रिहायशी कॉलोनियां विकसित की हैं। इस गैस प्लांट के आसपास जितनी भी आवासीय, औद्योगिक, शैक्षणिक व अन्य इकाईयां संचालित है, उनका पूरा विवरण अदालत में पेश किया जाये। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा व जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश ओमप्रकाश टांक की जनहित याचिका पर दिए।

हाईकोर्ट ने रीको प्रशासन से यह बताने को कहा है कि, औद्योगिक क्षेत्र में ऐसे अन्य प्रतिष्ठान या उद्योग संचालित है, जो खतरनाक गतिविधियों के दायरे में आते है।

सुनवाई के दौरान अदालती आदेश के पालना में आईओसीएल की ओर से सीनियर एडवोकेट सुधीर गुप्ता ने अदालत को बताया कि कंपनी का इस प्लांट को दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की कोई योजना नहीं है। जिस पर खंडपीठ ने कहा कि यह सत्यापित किया जाए कि मौजूदा जगह पर आईओसीएल का यह डिपो सुरक्षा व पेट्रोलियम कानूनों की अवहेलना तो नहीं कर रहा।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता डॉ. अभिनव शर्मा ने बताया कि साल 2009 में आईओसीएल के फ्यूल ऑयल स्टोरेज प्लांट में सात दिन तक लगी आग में 12 लोगों की मौत हुई थी। राज्य सरकार की जांच कमेटी ने 2011 की रिपोर्ट में माना था कि आईओसीएल के सीतापुरा स्थित घरेलू गैस के बॉटलिंग प्लांट को जगतपुरा व सीतापुरा में आबादी विस्तार को देखते हुए शहर से बाहर भेजना चाहिए। इस प्लांट में जामनगर लूणी गैस पाइप लाइन से एलपीजी उच्च दबाव पर सप्लाई होती है, जो सामने के रीको औद्योगिक क्षेत्र के नीचे से आती है। इसके ऊपर ही कई बडे अस्पताल, कॉलेज और फार्मेसी कौंसिल सहित अनेक शैक्षिणक संस्थान बन गए हैं। इसलिए बॉटलिंग प्लांट को शहर से बाहर शिफ्ट किया जाए।

इस पर न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति संजीत पुरोहित की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मुख्य सचिव को एक हलफनामा दाखिल करने को कहा है। जिसमें न्यायालय को जरिये शपथ पत्र यह सूचित किया जाए कि क्या सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र और उसके आसपास में राज्य द्वारा जेडीए और नगर निगम जैसी अपनी एजेंसियों के माध्यम से आवासीय कॉलोनियाँ विकसित की गई हैं अथवा नही।

अदालत ने अपने आदेश में रीको से यह भी कहा है कि वह भवनों के निर्माण के साथ-साथ, खतरनाक भवनों या खतरनाक उद्योगों के निर्माण के लिए रीको द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों और मानदंडों को भी रिकॉर्ड पर पेश करे, ताकि न्यायालय इस मामले में किसी निष्कर्ष पर पहुंच सके।

लिफ्ट देने के बहाने युवक का अपहरण और लूटपाट

जयपुर । गांधी नगर थाना इलाके में युवक का अपहरण कर फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। जानकारी में सामने आया कि बदमाशों ने युवक को सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ मारपीट की। धमकाकर घरवालों से रुपए मंगवाने के लिए फोन करवाया गया। पीड़ित युवक ने थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस वारदात स्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी फुटेजों को खंगालने के साथ ही बदमाशों की तलाश कर रही है।

पुलिस ने बताया कि दौसा के सिकराय निवासी सागर (20) ने मामला दर्ज करवाया है कि वह अपने रिश्तेदार से मिलने जयपुर आया था। पन्द्रह अगस्त को वापस गांव जाने के लिए नारायण सिंह सर्किल पर बस का इंतजार कर रहा था। उसके पास ब्लैक कलर की शिफ्ट कार आकर रुकी। कार सवार लोगों ने उससे पूछा कि वह कहां जाएगा। तो उसने सिकंदरा जाने के लिए कहा। कार चालक ने लालसोट जाने की कहकर सौ रुपए किराए में दौसा छोड़ने की बात कही। कार में ड्राइवर के अलावा दो युवक और बैठे थे। जिन्हें देखकर वह भी कार में बैठ गया। कानोता पहुंचने पर चालक ने खुद के दोस्त को साथ लेकर चलने की बात कही। उसने कार को नायला की तरफ मोड़ दिया। जिस पर युवक ने चालक से उतारने के लिए कहा लेकिन वह नहीं माना। थोड़ी दूर से दोस्त को लेने के बाद फिर चलने की कहकर कार की स्पीड तेज कर दी।

शक होने पर उसने अपने भाई अभिषेक को लाइव लोकेशन भेजकर मदद के लिए मैसेज कर दिया। नायला के आगे पुलिया के नीचे ले जाकर कार में सवार बदमाशों ने उसे नीचे उतार लिया। मारपीट कर उससे फिरौती के रुपए मांगने लगे। धमकाकर घरवालों को जरुरी काम होने की कहकर एक लाख रुपए मंगवाने के लिए दबाव बनाया। भाई अभिषेक को रुपयों को फोन करने पर उसने कुछ देर में ही पहुंचने के लिए कहा। बदमाशों ने युवक का वॉट्सऐप चैक किया तो उन्हें लाइव लोकेशन भेजे जाने का पता चल गया। पकड़े जाने के डर से बदमाश मारपीट कर उसकी जेब में रखे रुपए, मोबाइल और उसका बैग छीनकर कार से फरार हो गए।

नई दिल्ली में उद्यमियों व व्यापारियों का शिखर सम्मेलन 23 को : सुनील भार्गव

जयपुर । "वन नेशन-वन इलेक्शन" अभियान के अंतर्गत 23 अगस्त को उद्यमियों और व्यापारियों के सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली जनपथ स्थित डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में किया जायेगा।

वन नेशन वन इलेक्शन अभियान के प्रदेश संयोजक सुनील भार्गव ने बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य देशभर के प्रमुख उद्योग एव व्यापार जगत के नेताओं को एक मंच पर लाकर, वन नेशन, वन इलेक्शन जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय पर विचार-विमर्श करना है। विशेष रूप से इस पहल के व्यापार और अर्थव्यवस्था पर संभावित सकारात्मक प्रभाव को समझने और रेखांकित करने हेतु यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।

भार्गव ने बताया कि सम्मेलन में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल एवं शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, राष्ट्रीय मंत्री ओम प्रकाश धनखड, सुरेंद्र नागर, अनिल एंटोनी, कामाख्या प्रसाद तासा की गरिमामय उपस्थिति रहेंगी। उन्होंने बताया कि सम्मेलन के माध्यम से एक राष्ट्र, एक चुनाव विषय पर उद्योग एवं व्यापार जगत की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए एक समग्र दृष्टिकोण तैयार किया जाएगा। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में स्थायित्व, पारदर्शिता और आर्थिक सुगमता को बढ़ावा मिल सकेगा।

सभी व्यापारिक संगठनों, उद्यिमयों एवं नीति-निर्माताओं से अपील की जाती है कि वे इस आयोजन में अपनी सम्माननीय उपस्थिति दर्ज कराएं और राष्ट्रीय महत्व के इस विषय को और अधिक सार्थक एवं प्रभावी बनाने में योगदान दें।

भार्गव ने बताया कि राजस्थान से भी उद्यिमयों एवं व्यापारियों का 51 सदस्यी एक प्रतिनिधि मंडल इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली जाएगा।

ग्रेटर निगम ने चार जोन उपायुक्तों के कार्यक्षेत्र बदले

जयपुर (कासं)। ग्रेटर नगर निगम प्रशासन ने चार उपायुक्त, एक सहायक अभियंता और तीन कनिष्ठ अभियंताओं के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। आयुक्त डॉ. गौरव सैनी ने इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी किए।

आदेश के मुताबिक उपायुक्त करणी सिंह को विद्याधर नगर जोन, मनोज कुमार वर्मा को राजस्व प्रथम और आयोजना प्रथम, अपर्णा शर्मा को गैराज शाखा, अशोक कुमार शर्मा को मुरलीपुरा जोन उपायुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा सहायक अभियंता मनीष कुमावत को विद्याधर नगर जोन भेजा गया है। वहीं कनिष्ठ अभियंता मोहित सैनी को मुरलीपुरा की भवन शाखा से हटाकर खंड शाखा में तथा लोकेश सैनी को निर्माण खंड शाखा से भवन शाखा में लगाया गया है।

प्रारंभिक स्तर पर याचिका खारिज करने के दौरान हर्जाना व विभागीय कार्यवाही का आदेश देना उचित नहीं : हाईकोर्ट

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने पीएचईडी, बयाना में कार्यरत सहायक अभियंता की याचिका को एकलपीठ की ओर से प्रारंभिक स्तर पर खारिज करने के दौरान उस पर दस हजार रुपए का हर्जाना लगाने और विभागीय कार्यवाही शुरू करने का आदेश देने को गलत माना है। इसके साथ ही अदालत ने एकलपीठ के आदेश में दिए गए इन दोनों निर्देशों को निरस्त कर दिया है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश शैलेन्द्र कुमार की अपील पर सुनवाई करते हुए दिए।

अपील में अधिवक्ता सार्थक रस्तोगी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को दिए गए एईएन पद का अतिरिक्त कार्यभार वापस ले लिया गया था। इसे एकलपीठ में चुनौती देने पर एकलपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किए बिना याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज कर दिया था। इसके साथ ही एकलपीठ ने याचिकाकर्ता पर फिजूल की याचिका दायर करना बताकर दस हजार रुपए का हर्जाना लगाया था। वहीं विभाग को भी निर्देश दिए थे कि वह इस तरह की याचिका दायर करने पर याचिकाकर्ता के खिलाफ चार्जशीट जारी करे। अपील में एकलपीठ के इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा गया कि याचिका में इस तरह का आदेश देना उचित नहीं है। इसलिए हर्जाना और विभागीय कार्रवाई के आदेश को रद्द किया जाए।

सार-समाचार

लहरिया फ़ेस्ट के पोस्टर का विमोचन

जयपुर । एम्प्रेस क्लब की ओर से भव्य लहरिया फ़ेस्ट का तीसरा सीज़न तेईस अगस्त को जयपुर के वैशाली नगर स्थित महल रजवाड़ा रिजॉट में आयोजित होगा। इस बार यह आयोजन और भी खास होगा क्योंकि जयपुर की 800 से अधिक महिलाएं इसमें शिरकत कर रही हैं और राजस्थान की लोक परम्पराओं व लहरिया की रंगीन धारा को जीवंत बना रही हैं। इसी कार्यक्रम के चलते मंगलवार को पोस्टर विमोचन किया गया। इस दौरान पवन गोयल (एमडी सफारी ग्रुप), खुशबू शर्मा (डायरेक्टर, एम्प्रेस क्लब), नीता अग्रवाल (एम्प्रेस क्लब), श्वेता मेहता मोदी (डायरेक्टर, स्मार्ट सर्किल ग्रुप), वर्तिका जैन, शानू महर्षि और प्रवासी संघ राजस्थान प्रदेश संयोजक भीम सिंह कासनियां सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इंप्रेस क्लब की डायरेक्टर खुशबू शर्मा ने बताया कि लहरिया फ़ेस्ट सीजन 3 पर इस बार इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के टीवी की मशहूर अभिनेत्री और ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम लता सबरवाल जो कार्यक्रम की मुख्य अतिथि होंगी। वहीं राजस्थान की प्रसिद्ध लोकगायिका मीना कुमारी राठौड़ और मधु भट्ट अपने सुरों से राजस्थानी लोक संगीत की महक बिखेरेंगी। इंप्रेस क्लब की नीता अग्रवाल ने बताया कि लहरिया फ़ेस्ट सीजन 3 केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि नारी शक्ति, परंपरा और एकता का संगम है। रंग-बिरंगी प्रदर्शनी, पारंपरिक नृत्य-संगीत, लोक कला और सांस्कृतिक आकर्षण इस उत्सव की खास पहचान होंगे।

पंचायतीराज मंत्री ने ली विभागीय बैठक

जयपुर । पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय स्थित पंचायती राज भवन के सभागार में विभागीय योजनाओं और लंबित प्रकरणों की क्रियान्विति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उन्होंने विभागीय योजनाओं की प्रगति की बारीकी से समीक्षा की और लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण कर जीरो पेंडेंसी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अपने कार्यालय से प्राप्त एक-एक प्रकरणों पर चर्चा की और निस्तारण होने में आ रही समस्याओं की जानकारी लेते हुए समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग करें और निस्तारण होने पर संबंधित को सूचित भी करें। उन्होंने विभाग को पालीथिन मुक्त रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सभी से देश में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को घुमंतु, अर्ध घुमंतु एवं आवासविहीन व्यक्तियों को पट्टा वितरण करना है, इसको ध्यान में रखते हुए इस बजट घोषणा को पूरी करने की दिशा में कारवाही सुनिश्चित करें। पंचायती राज मंत्री ने सभी कार्मिकों द्वारा हरियालो राजस्थान कार्यक्रम के तहत लगाए जा रहे पौधों की जानकारी ली और प्रति कार्मिक 450 पौधे लगाने के लक्ष्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने गांवों को पूर्ण रूप से साफ सुथरा रखने पर जोर दिया और इसके लिए हर संभव कोशिश और विकल्पों को पर विचार करने के निर्देश दिए।

9.50 लाख रुपए लूटने वाला गिरफ्तार

जयपुर । बजाज नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9.50 लाख रुपए लूट मामले में मास्टर माइंड को गिरफ्तार कर लूट के 2 लाख रुपए जब्त किए है। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ करने के साथ ही फरार बदमाशों की तलाश कर रही है। पुलिस जांच में सामने आया कि साइबर अपराध गैंग ने ड्रामा रचकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस को गुमराह करने के लिए पीड़ित सहित अन्य बदमाशों ने अपने-अपने किरदार निभाए थे। सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी मालवीय नगर) आदित्य पूनिया ने बताया ने बजाज नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9.50 लाख रुपए लूट मामले में मास्टर माइंड छैलू सिंह उर्फ छैल सिंह (22) निवासी भगत की कोठी जोधपुर को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपित छैलू सिंह उर्फ छैल सिंह अंतरराज्यीय साइबर ठगी का मास्टर माइंड है। जिसके खिलाफ गुड़गांव, गाजियाबाद, अहमदाबाद गुजरात और जोधपुर में साइबर ठगी व अन्य प्रकरण दर्ज है। वारदात में उसके साथ मौजूद तीन साथी मोती सिंह, ओम सिंह बन्ना व पूरण सिंह उर्फ पर्बत सिंह थे। मास्टरमाइंड छैलू सिंह के तीनों साथी भी साइबर अपराधी है। गिरोह की ओर से ऑनलाइन यूएसडीटी का काम किया जाता है। रोकड़ में यूएसडीटी हवाला के जरिए खरीदते है। टेलीग्राम ऐप के माध्यम से एक साइबर ठगी के ग्रुप में जुड़ा हुआ है। जिसमें यूएसडीटी खरीदने वाले लोग जुड़े है। यूएसडीटी की खरीद-फरोख्त ट्रस्ट नाम के ऐप से होती है। जो एक चाइनीज ऐप है। इस पर टैक्स नहीं लगता है। गिरोह के मेंबर के मोबाइल नंबरों को साइबर पोर्टल पर डालने पर 100 से अधिक साइबर धोखाधडी की शिकायत दर्ज मिली। थानाधिकारी पूनम चौधरी के नेतृत्व में लगी पुलिस टीम बदमाशों की तलाश में जुटी थी। जांच के दौरान पता चला कि जोधपुर सिटी में नाकाबंदी तोड़कर भागने की कोशिश में आरोपित छैलू सिंह उर्फ छैल सिंह को पकड़ा गया था। राजकार्य में बाधा मामले में गिरफ्तार कर 12 अगस्त को जोधपुर पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। जयपुर पुलिस की ओर से प्रोडक्शन वारंट पर मुख्य आरोपित छैलू सिंह को जोधपुर जेल से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपित की निशानदेही पर लूट के दो लाख रुपए बरामद किए है। पुलिस मामले में फरार तीनों साथी की तलाश कर रही है। थानाधिकारी ने बताया कि 25 जुलाई को एसएल मार्ग पर इंडसइंड बैंक के बाहर 9.55 लाख रुपए जसवंत से लूट गए थे।

'संशोधित परिणाम से पूर्व में चयनित शिक्षक प्रभावित नहीं'

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी लेवल 2 शिक्षक भर्ती-2022 के मामले में कहा है कि भर्ती परीक्षा के संशोधित परिणाम से पूर्व में चयनित शिक्षकों को नहीं हटाया जाए। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश विनेश कुमार और स्वाति भट्ट सहित अन्य की ओर से दायर अपीलों पर सुनवाई करते हुए दिए।

अपील में अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने अदालत को बताया कि अपीलार्थी तृतीय श्रेणी लेवल 2 शिक्षक भर्ती-2022 में चयनित हुए थे। वहीं बाद में भर्ती की लिखित परीक्षा के कुछ प्रश्नों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने विशेषज्ञ कमेटी गठित तक विवादित प्रश्नों की जांच करने को कहा। एकलपीठ ने कहा कि संशोधित परिणाम में यदि कोई बाहर होता है तो उसे नियुक्ति नहीं दी जाए। इसकी पालना में कर्मचारी चयन बोर्ड ने गत 27 जनवरी को संशोधित परिणाम जारी कर दिया। जिसमें अपीलार्थी मेरिट से बाहर हो गए। एकलपीठ के इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा गया कि संशोधित परिणाम में यदि पूर्व में चयनित अभ्यर्थी बाहर होता है तो उसे उसी स्थिति में हटाया जा सकता है, जब उसने धोखाधडी, कदाचार या गलत बयानी आदि के चलते नियुक्ति ली हो।

ट्रेडर्स पर यूज़र चार्ज लगाने से मंडियों में व्यापार ठप, करोड़ों रुपए का नुकसान

- **शक्कर को छोड़कर अधिकतर खाद्य वस्तुएं शुल्क के दायरे में : रामचरण नाटाणी**
- **नियमों में भेदभाव का आरोप, सरकार पर मॉल्स को प्रमोट करने का आरोप**

कृषि उपज मंडियों में लाइसेंसधारी व्यापारियों पर लगाए गए यूजर चार्जेज़ के विरोध में खाद्य पदार्थ व्यापार संघ जयपुर के अध्यक्ष रामचरण नाटाणी व अन्य धरने पर बैठे।

जयपुर (कासं)। राज्य सरकार द्वारा कृषि उपज मंडियों में व्यापार करने वाले लाइसेंसधारी व्यापारियों पर यूज़र चार्ज लगाने का आदेश जारी होने के बाद प्रदेशभर की मंडियों में व्यापार पूरी तरह ठप हो गया है। किसानों और व्यापारियों में भारी आक्रोश है।

आदेश के अनुसार, अब मंडी और उप-मंडी यार्डों के भीतर गैर-अधिसूचित कृषि उपज एवं खाद्य पदार्थों पर प्रति 100 रुपए के लेनदेन पर 50 पैसे यूज़र चार्ज देना होगा। मंडी यार्ड के बाहर व्यापार करने वालों को इस शुल्क से छूट दी गई है। मंडी समितियों को यह शुल्क वसूलने का अधिकार दिया गया है।

खाद्य पदार्थ व्यापार संघ जयपुर के अध्यक्ष रामचरण नाटाणी ने बताया कि यह शुल्क दाल, चावल, आटा, मैदा, सूजी, तिलहन, खाद्य तेल, ड्राई फ्रूट्स सहित अन्य कई खाद्य उत्पादों पर लागू किया गया है। केवल शक्कर को इससे बाहर रखा गया है।

अध्यक्ष रामचरण नाटाणी और महामंत्री अविनाश जैन ने बताया कि इस आदेश के विरोध में व्यापारियों का धरना तीसरे दिन भी जारी है। पिछले तीन दिनों से मंडी में कोई कारोबार नहीं हो पा रहा, जिससे सरकार को भी बड़ा राजस्व नुकसान हो रहा है। सिर्फ जयपुर मंडी की बात करें तो हर दिन लगभग 20 से 25 करोड़ रुपये का जीएसटी नुकसान हुआ है। पूरे प्रदेश की मंडियों में यह नुकसान प्रतिदिन 200 से 300 करोड़ रुपये तक पहुँच रहा है। व्यापारियों का आरोप है कि सरकार ने एक ही व्यापार को मंडी के अंदर और बाहर दो हिस्सों में बाँटकर दो अलग नियम लागू कर दिए हैं। सह-मंत्री सतीश पापड़ीवाल के अनुसार राज्य सरकार बड़े मॉल्स और मल्टीनेशनल कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए मंडी व्यापारियों पर टैक्स का बोझ डाल रही है। व्यापारियों ने यूज़र चार्ज वापस लेने की मांग करते हुए उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी को ज्ञापन भी सौंपा है और चेतावनी दी है कि यदि आदेश वापस नहीं लिया गया तो धरना और बंद अगली सूचना तक जारी रहेगा।

'उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं का फोलोअप करें'

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशन में प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता की दिशा में पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है। राज्य स्तर से प्रत्येक मंगलवार को विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। इसी कड़ी में मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. अमित यादव ने मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से साप्ताहिक बैठक आयोजित कर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, आशा कार्यक्रम, परिवार नियोजन सहित विभिन्न कार्यक्रमों की विस्तार से समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मिशन निदेशक ने प्रदेश में उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व चार जांच सेवाएं उपलब्ध कराने में परिवहन के लिए 104 जननी एक्सप्रेस के सदुपयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं का फोलोअप करें ताकि उनका आगामी उपचार प्रबंधन समुचित हो सके। साथ ही, उन्होंने जननी सुरक्षा योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का शत प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

पिकअप के नीचे दबने से बाइक सवार की मौत

- **मुहाना मंडी के गेट नंबर 1 के पास हुआ हादसा**

जयपुर । मुहाना इलाके में एक पिकअप के पलटने से उसके नीचे दबकर बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस जानकारी में सामने आया कि मोड़ पर बैलेंस बिगड़ने से पिकअप पलट कर पास से निकल रहे बाइक सवार पर गिर गई। हादसे की सूचना मिलने पर सडक दुर्घटन थाना दक्षिण पुलिस मौके पर पहुंची और मंगलवार को शव का पोस्टमॉर्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने पिकअप को जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है।

सडक दुर्घटन थाना (दक्षिण-सेकेंड) के प्रभारी एएसआई रामरतन ने बताया कि हादसे में गुर्जर की थड़ी के चम्पा नगर निवासी सूर्यप्रकाश (37) की मौत हो गई। जो सब्जी मंडी में किसी काम से गया था। जहां वह बाइक से मुहाना मंडी के गेट नंबर-1 के पास से जा रहा था। इस दौरान सब्जियों से भरी पिकअप भी मोड़ पर टर्न कर रही थी। इस दौरान बाइक लेकर पास से निकलते समय मोड़ पर बेकाबू पिकअप पलटी खा गई। पिकअप के पलटी खाने से बाइक सहित सूर्यप्रकाश नीचे दब गया। हादसे के बाद चालक भाग निकला। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचित कर राहत कार्य शुरू किया।

लोगों की मदद से पिकअप के नीचे फंसे सूर्य प्रकाश को बाहर निकाल कर गंभीर हालत में एसएमएस अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया।

जे.डी.ए. ने लीजडीड प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन किया

जयपुर । जयपुर विकास प्राधिकरण ने पट्टा और लीजडीड जारी करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। जिससे नागरिकों को अब इस कार्य के लिए जेडीए कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी, आवेदक घर बैठे ही अपनी समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे।

आयुक्त आनंदी ने बताया कि इस नई डिजिटल पहल के तहत, आवेदन से लेकर पट्टा जारी होने तक की पूरी प्रक्रिया अब पूरी तरह से पेपरलेस हो गई है। अब आवेदक का नाम, पता और फोटो सीधे सर्वर से आधार-आधारित (ओटीपी और फेशियल रिकॉग्निशन) के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा, जिससे दस्तावेज़ सत्यापन में लगने वाला समय समाप्त हो जाएगा। आवेदन के बाद हलफनामा और पट्टा, दोनों पर आवेदक और संबंधित उपायुक्त के डिजिटल हस्ताक्षर किए जा सकेंगे। सभी प्रकार के स्टांप और स्टांप शुल्क का भुगतान अब ऑनलाइन ई-स्टांपिंग के माध्यम से किया जाएगा, जिससे भौतिक स्टांप पेपर की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। लीज़होल्ड से फ्रीहोल्ड रूपांतरण के मामलों में भी अब भौतिक स्टांप पेपर और उपायुक्त के भौतिक हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी। यह कदम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के नेतृत्व में जेडीए की "पेपरलेस और पारदर्शी शासन" की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

दो घंटे बाजारों में सफाई के लिए अनाउंस करेंगे उपायुक्त

जयपुर । राजधानी जयपुर की सफाई व्यवस्था को लेकर हैरिटेज निगम प्रशासन अब बाजारों में सख्त कार्रवाई को लेकर एक्शन में आ गया है। मंगलवार को निगम आयुक्त डॉ. निधि पटेल ने सभी जोन उपायुक्त को स्पष्ट निर्देश दिए कि सफाई के मामले में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। जोन उपायुक्त अपने क्षेत्र में भीड़भाड़ वाले इलाकों में प्रतिदिन निरीक्षण करें, साथ माइक के जरिए बाजार में दो डस्टबिन रखने और गंदगी नहीं फैलाने के लिए बार बार अनाउंस करें।

आयुक्त ने कहा कि जिस दुकान के बाहर ज्यादा गंदगी दिखे, उसका भारी चालान किया जाएं। साथ ही सफाई व्यवस्था भी रखने पर अगली बार सीज भी किया जाएं। इसके लिए जोन उपायुक्त अपनी टीम के साथ लगातार मॉनिटरिंग करें। व्यापारियों को समझाएं कि ये शहर हमारा अपना है। इसे स्वच्छ बनाएं रखने की हम सबकी जिम्मेदारी है। आयुक्त निधि पटेल ने सभी जोन उपायुक्त से उनके क्षेत्र में ओपन कचरा डिपो की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि मिशन मोड पर ओपन डिपो खत्म किए जाएं और वहां सौंदर्यीकरण कार्य कराया जाएं, जिससे लोग सड़क पार कचरा नहीं फेंके।

साथ ही स्मार्ट सिटी के लगे कैमरों और अन्य जगहों पर लगे कैमरों की मदद से कचरा फेंकने वालों को ट्रेस कर चालान किया जाएं। साथ निगम आयुक्त ने उद्यान शाखा को निर्देश दिए कि प्रतिदिन एक वार्ड में पेड़ पौधों और डिवाइडर के पास घास की कटाई की जाएं। जिससे कि पेड़ो की आड़ में कचरा इकठ्ठा नहीं हो पाएं।